जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V.1244
5/2/2024

—ःसूचनाः—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	शिव रतन मीणा	स्वंय	51	231.45	भांकरोटा गृ.नि.स. स.लि.	पवन विहार	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त
जोन—पीआरएन (दक्षिण—द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।
यू.ओ. नोट क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन—पी.आर.एन.(दक्षिण—द्वितीय) / 2024 / डी— 2530
दिनांक 1.2.2024

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकःजविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2024 / डी–402 दिनांक 01-2-2024

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :–90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलंग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

संख्या D-402   दिनांक 01-2-2024

सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **दी राजहंस को–आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि.** की आवासीय योजना **ग्रीन सिटी सिरसी रोड** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट.)	वर्तमान स्वामित्व हिस्सा अनुसार
ग्राम सिरसी तहसील जयपुर	1430 1431 1432/1	0.7335 0.7082 0.1897	1. श्री नाथू पुत्र भूरा हि. 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार 2. श्री नानगराम दत्तक पुत्र ननदा हि. 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार 3. श्री मंगला पुत्र भूरा हि. 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार
	कुल किता 3	1.6314	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 308, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा एवम् नियमानुसार मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही संपादित की जायेगी।

नोटिस आज दिनांक 01-2-2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–12 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–5/2024/डी– 214   दिनांक 29-1-24

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन नियम–2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू– उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू–उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू–उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान–2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू–उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1.	05	श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह	श्रीमती कैलाश कंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह	30 व 34	आवासीय	पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम 8 बी	555.93	आवासीय एवं व्यावसायिक (सड़क की गहराई का डेढ गुणा जो भी कम हो)	व्यावसायिक भू उपयोग हेतु

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियॉ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन–5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}: फैक्स - +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन–4/2024/डी–287 दिनांक 2-02-2024

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सिद्धार्थ नगर ए के भूखण्ड सं. ए–135 (पुराना) ए–811 नये नम्बर की लीजडीड जारी करने हेतु श्रीमती मंजू जैन पत्नी श्री मनोज जैन के द्वारा ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड के संबंध में श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री किशोरी लाल बडगुर्जर के द्वारा भी लीजडीड हेतु ऑफलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। दोनों आवेदनकर्ताओं को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जोन कार्यालय के द्वारा सुनवाई के अनेक अवसर दिये गये, लेकिन प्रार्थीया श्रीमती कमला देवी उपस्थित नहीं हुई है। श्रीमती मंजू जैन के द्वारा जोन कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। अंतिम नोटिस जारी होने के उपरान्त भी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री किशोरी लाल बडगुर्जर के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त भूखण्ड के संबंध में लीजडीड की कार्यवाही कर जा रही है। यदि किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित कर दी जायेगी।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राजकीय अखबार में 8 फैन्ट में जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/102021 दिनांकः 03/02/2024

लोक सूचना

श्री **METRO GOLD TEXTILES PVT. LTD.** पुत्र श्री **DIRECTOR DEEPESH KUMAR PHULWANI S/O BHAGWANDAS PHULWANI** जाति **SINDHI** निवासी **P.NO. 1 & 2, NEW JOSHI COLONY, JAIPUR** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	श्री किशनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	M/S METRO GOLD TEXTILES PRIVATE LIMITED	981/702	4550	0.455
				कुल	**0.455**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **03-02-2024** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Signature valid

Digitally Signed by Devyani
Designation :DC/ A
Date: 2024.02.03 13:15:48 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103174 दिनांक: 05/02/2024

लोक सूचना

मैसर्स केडिया बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री गौरव केडिया पता–ए–6 से 10, श्याम नगर बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	बगरूखुर्द, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स केडिया बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्रा.लि. पता–ए–6 से 10, श्याम नगर बैनाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।	264	3087	रकबा 0.43 हैक्ट. में से रकबा 0.3087 हैक्ट.
			265	2106	रकबा 0.29 हैक्ट. में से रकबा 0.2106 हैक्ट.
			267	162	रकबा 0.69 हैक्ट. में से रकबा 0.0162 हैक्ट.
			268	2100	0.21
			269	100	0.010
			270	12400	1.24
				कुल	1.9955

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **05-02-2024** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	कर्नल प्रताप सिंह शेखावत पुत्र श्री भंवर सिंह शेखावत	श्रीमती राधिका सरिन पत्नी कर्नल मुकेश सरिन	16	472.22 व.ग.	माधव गृ.नि.स.स.	राजेन्द्र नगर	फ्री होल्ड	अपंजीकृत इकरारनामा

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा आवेदक के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि मे प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीवी–एसएफ–218डी, मे दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष मे नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–7,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2024/डी– 224
दिनांक – 5/2/2024

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) ईपीबीएक्स 0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स 91–141–257455